प्रेषक

परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. सभी महा प्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन।

2. उड़न दस्ता अधिकारी,
परिवहन विभाग,
अन्तर्राज्जीय बस अड्डा, दिल्ली।

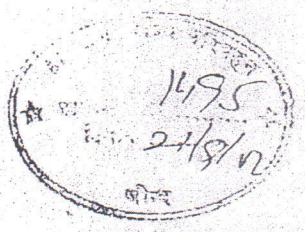

कमांक 1292-132/टी0आई0
दिनांक 20-9-2001

विषय:- डिपू/मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा पकड़े गये गम्भीर गबन तथा अनियमितता वाले केसों पर कार्यवाही करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको निम्नलिखित हिदायतें दी जाती हैं:-

1. गबन की प्रवृति रखने वाले परिचालकों को मार्ग पर न भेज कर अग्रिम बुकिंग पर नियुक्त किया जाये। यदि ऐसा कोई परिचालक मार्ग पर पाया गया तो उस आगार के महा प्रबन्धक/यातायात प्रबन्धक/कार्य निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

2. 200 रूपये से अधिक के गबन केस रिईश/जाली टिकटों, लोकल मार्ग पर 100 रूपये का गबन करने तथा बार बार गबन करने वाले परिचालक के केसों को गम्भीर केस माना जाये।

3. मुख्यालय स्तर पर गम्भीर गबन/अनियमितायें के केसों पर निलम्बित उपरान्त कर्मचारियों का मुख्यालय चण्डीगढ़ नियत किया जाये।

4. इन कर्मचारियों की जांच पड़ताल भी मुख्यालय स्तर पर करवाई जाये।

5. यदि कोई परिचालक जाली (बोगस) टिकटें/पुरानी टिकटें बेचने/ रखने अथवा 500/- रुपये की राशि का साफ गबन करने में पकडा जाये तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई जाये।

6\. इस मामले में निरीक्षक/निरीक्षण अधिकारी तथा दो यात्रियों के गवाहों के रुप में हस्ताक्षर भी लें।

7\. मुख्यालय द्वारा निलम्बित कर्मचारी को पूर्वानुमति के बिना लम्बित जांच पर बहाल न किया जाये।

8\. अर्न्तराज्जीय मार्गों पर परिचालक के पास निजि कैश 200/- रुपये से अधिक न हो जिसका इन्द्राज आरम्भ में ही बेबिल पर करेंगे+ यदि इससे अधिक राशि परिचालक के पास से बिना वैद्य घोषणा के मिलती है तो उसे गबन की गई राशि समझ कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

9\. दोषी कर्मचारी को महा प्रबन्धक आरोप पत्र डी0टी0सी0(पी) /ए0एस.टी0सी0(ए) से वैट करवा कर जारी करके एक मास के अन्दर अन्दर क्रमशः जे0एस0टी0सी0(सी)/उड़न दस्ता अधिकारी (यातायात) को जांच अधिकारी नियुक्त करें परन्तु केस जिस अधिकारी द्वारा पकड़ा गया हो उसे जांच अधिकारी न नियुक्त किया जाये।

10\. मुख्यालय से कार्यालय अधीक्षक/यातायात प्रबन्धक/ निरीक्षक को पद सहित प्रैजेन्टिंग आफिसर भी नियुक्त करें।

11\. सम्बन्धित महा प्रबन्धक जांच मिसल के साथ मूल वेबिल भी साथ भेजेंगे तथा उसकी छाया प्रति अपने कार्यालय के रिकार्ड में रखेंगे।

12\. जांच अधिकारी एवं प्रैजेन्टिंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच कार्यवाही तीन मास के अन्दर अन्दर पूर्ण करके जांच निष्कर्ष रिपोर्ट सम्बन्धित महा प्रबन्धक को आगामी कार्यवाही हेतू भेज दी जाये।

13\. महा प्रबन्धक जांच निष्कर्ष रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही अपने स्तर पर दो मास की अवधि में पूर्ण करके लिये गये निर्णय की सूचना इस कार्यालय को भी तुरन्त भेजेंगे।

14\. सम्बन्धित महा प्रबन्धक अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे कि यदि दोषी कर्मचारी 15 दिन का नोटिस दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं होता है तो तीसरी बार उसके विरुद्ध एक

का कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार यदि गवाह (निरीक्षक/उप निरीक्षक) समय पर नहीं आते हैं तो तीसरी बार उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही हेतू मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

अब तक के ऐसे केसों पर यदि किसी महा प्रबन्धक ने जांच शुरु कर दी है तो अपने स्तर पर हिदायतो अनुसार तुरन्त कार्यवाही करके मुख्यालय को अवगत करवायेंगे।

यदि किसी चालक/परिचालक के विरूद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है तो इस का इन्द्राज उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी अवश्य किया जाये।

यदि किसी चालक/परिचालक के पुराने लम्बित केस का निर्णय लम्बी अवधि उपरान्त किया जाता है एवं वह उसमें दोषी पाया जाता है तो ऐसे केसों में उसकी केस से सम्बन्धित वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट भी डाउन ग्रेड की जाये।

गबन की प्रवृति वाले परिचालकों का सेवा रिकार्ड दी गई सजाओं एवं लम्बित पड़े केसों सहित पूर्ण ब्यौरा मुख्यालय में यथा शीघ्र भेजेंगें।

सभी चालक/परिचालकों का सेवा रिकार्ड वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दी गई सजाओं का ब्यौरा रखने के लिये रजिस्ट्रर एक मास के अन्दर अन्दर तैयार करेंगें। ऐसे रजिस्ट्रर सभी महा प्रबन्धकों को दिनांक 31.8.2001 को करनाल में हुई मीटिंग में व्यक्तिगत तौर पर सौंप दिये गये है।

कर्मचारी की 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने उपरान्त उसकी सेवा में बढौतरी के लिये उसके पूर्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर रिकार्ड ठीक न होने पर उसका केस मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में रिवयु हेतू समय पर भेजें।

जिन कर्मचारियों को 55वर्ष पूर्ण करने पर बढौतरी दे दी गई है और उनका सेवा रिकार्ड ठीक नहीं है उन सभी के केस मुख्यालय को भेंजें।

यदि किसी निरीक्षक/उप निरीक्षक की चैकिंग बारे कार्य क्षेत्र में कोई परिचालक गम्भीर गबन करते किसी अन्य ऐजैन्सी द्वारा पकडा जाता है तो उस निरीक्षक/उप निरीक्षक के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

14

R.K/EA.

23. सभी महा प्रबन्धक अपने कार्यालय में सभी केसों की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट प्रति माह तैयार करवायेंगे जिसकी सूचना मुख्यालय को भी 7 तारीख तक भेजेंगे।

हिदायतों की पालना दृढ़ता से की जाये।

पृष्ठा0क0 1313-17 /टी0आई01

कृते:परिवहन आयुक्त, हरियाणा।
दिनांक 20-9-2001

प्रतियां निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़।
2. यातायात प्रबन्धक मुख्यालय को भेज कर हिदायत दी जाती है कि मुख्यालय के ऐसे केसों को कम्पयूटर में फीड कर सम्बन्धित जांच अधिकारी से तालमेल करके नवीनतम स्थिति की संयुक्त रिपोर्ट प्रति माह 15 तारीख तक तैयार करके उप परिवहन नियन्त्रक(तकनीकी)/ए0एस0टी0सी0(ए) के माध्यम से परिवहन आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेंगे।
3. ए0एस0टी0सी0(ए)
4. जे0एस0टी0सी0(सी)
5. उड़न दस्ता अधिकारी(या0)

कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक 9240-54 /स्टैनो

दिनांकः 25/9/01

इसको एक प्रतिः-

1- यातायात प्रबन्धक,जीन्द/नरवाना/मुख्य निरीक्षक/टीसी-1/टीसी-2/जांच लिपिक/इसीडी/इसीसी×स्थापना सहायक/ अधीक्षक/आर0के0 बी0आइ0 जीन्द/नरवाना/सफीदों को आवश्यककार्यवाही एवं सख्ती से पालनार्थ प्रेषित है।

महा प्रबन्धक
हरियाणा राज्य परिवहन,
जीन्द।
25/9/01